न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 11/2019

उनवान

1. अर्जुन पुत्र श्योसहाय
2. कालू पुत्र हीरा
3. तीजा देवी पत्नी अर्जुन लाल
4. प्रभू पुत्र गोविन्दा
5. बंशीधर पुत्र शिवसहाय
6. अर्जुन पुत्र मुखाराम
7. नाथी देवी पत्नी देवीसहाय
8. बंशी पुत्र गोपी
9. मालीराम पुत्र गोमाराम
10. रामकुंवार पुत्र मुखाराम
11. साधूराम पुत्र हीरालाल
12. सीताराम पुत्र श्योसहाय
13. धूडाराम पुत्र मुरली
14. मुकेश कुमार पुत्र मुरली
15. गोपी पुत्र गोविन्दा
16. देवीसहाय पुत्र भैरूराम
17. रामचन्द्र पुत्र हुक्मा

समस्त जाति यादव निवासी खोजावाला घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. रामावतार यादव पुत्र भौरीलाल
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भौरीलाल
3. भौरीलाल पुत्र नारायण लाल
4. कल्याण सहाय पुत्र नारायण लाल
5. धन्नाराम पुत्र नारायण
6. मालीराम पुत्र नारायण
7. रामेश्वर पुत्र नारायण लाल
8. हनुमान पुत्र नारायण लाल
9. हरदेव पुत्र नारायण लाल

समस्त जाति यादव निवासी ढाणी केरली घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

10. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
11. वन विभाग जरिये जिला वन अधिकारी जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री जे.एस. यादव, अधिवक्ता वादी**
श्री मंगल चन्द यादव, अधिवक्ता प्रतिवादी

दावा सीमा निश्चयकरण व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 12.03.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 129/1161/0.07, 129/1162/0.84, 129/1045/2.52, 129/1202/0.64, 129/1158/1.54, 129/1159/0.55, 129/1160/2.39 है0 भूमि वाके ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित में है, जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण उक्त आराजी पर बिना बाधा के काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हक अधिकार की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 129/1202 व 129/1045 के उत्तर दिशा में प्रतिवादी की भूमि हाल खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

129 / 1245 व 135 / 1066 लगती हुई भूमि है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 वादीगण की खातेदारी भूमि की उत्तरी दिशा की सीमा को काटते रहते है और जबरन वादीगण को उसकी भूमि से बेदखल करने की धमकी देते रहते है। वादीगण की खातेदारी भूमि के दक्षिण में वन विभाग की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 11 का भी वादीगण के आराजी से कोई लेना देना नही रहा है। वादीगण ने दिनांक 22.06.2018 को तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान प्रस्तुत किया था जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर वादीगण की भूमि का सीमाज्ञान किया था जिसको प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11 मानने से इंकार करते है। आये दिन वादीगण की भूमि की सीमाओ को काटकर दबाने पर आमदा रहते है। जिसके कारण वादीगण की भूमि का स्थायी सीमा चिन्ह लगाकर सीमा निश्चयकरण किया जाना व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। अगर प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि की सीमा को काटकर जबरन कब्जा कर लेगें जिस कारण वादपत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ। अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर स्थायी सीमा चिन्ह लगाया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11 को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की वर्णित भूमि की सीमाओ को नष्ट खुर्द–बुर्द ना करें ना ही कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी ना करे।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री मंगलचन्द यादव ,एड. उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के लगते हुए खसरा नम्बर 129 / 1245, 135 / 1066, 129 / 1247, 135 / 1249 प्रतिवादीगण के खातेदारी खसरा नम्बर है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 से लगते हुए है। उक्त खसरा नम्बरों का दोनो पक्षकारान के खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करावाये जाने से पक्षकारान के मध्य हमेशा–हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जायेगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 129 / 1161 / 0.07, 129 / 1162 / 0.84, 129 / 1045 / 2.52, 129 / 1202 / 0.64, 129 / 1158 / 1.54, 129 / 1159 / 0.55, 129 / 1160 / 2.39 है0 भूमि वाके ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित में है जो प्रतिवादीगण के आराजी खसरा नम्बर 129 / 1245, 135 / 1066, 129 / 1247, 135 / 1249 से लगते हुए हैं इनके मध्य सीमा विवाद है। प्रतिवादीगण ने भी मौके पर उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु अपनी सहमति दी है। जो स्वीकार योग्य है।

अतः दावा इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 129 / 1161 / 0.07, 129 / 1162 / 0.84, 129 / 1045 / 2.52, 129 / 1202 / 0.64, 129 / 1158 / 1.54, 129 / 1159 / 0.55, 129 / 1160 / 2.39 है0 भूमि व प्रतिवादीगण के आराजी खसरा नम्बर 129 / 1245, 135 / 1066, 129 / 1247, 135 / 1249 वाके ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाकर सीमाचिन्ह अंकित करावे ।

निर्णय आज दिनांक 12/3/22 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 11/2019

उनवान

1. अर्जुन पुत्र श्योसहाय
2. कालू पुत्र हीरा
3. तीजा देवी पत्नी अर्जुन लाल
4. प्रभू पुत्र गोविन्दा
5. बंशीधर पुत्र शिवसहाय
6. अर्जुन पुत्र मुखाराम
7. नाथी देवी पत्नी देवीसहाय
8. बंशी पुत्र गोपी
9. मालीराम पुत्र गोमाराम
10. रामकुंवार पुत्र मुखाराम
11. साधूराम पुत्र हीरालाल
12. सीताराम पुत्र श्योसहाय
13. धूडाराम पुत्र मुरली
14. मुकेश कुमार पुत्र मुरली
15. गोपी पुत्र गोविन्दा
16. देवीसहाय पुत्र भैरूराम
17. रामचन्द्र पुत्र हुक्मा

समस्त जाति यादव निवासी खोजावाला घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. रामावतार यादव पुत्र भौरीलाल
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भौरीलाल
3. भौरीलाल पुत्र नारायण लाल
4. कल्याण सहाय पुत्र नारायण लाल
5. धन्नाराम पुत्र नारायण
6. मालीराम पुत्र नारायण
7. रामेश्वर पुत्र नारायण लाल
8. हनुमान पुत्र नारायण लाल
9. हरदेव पुत्र नारायण लाल

समस्त जाति यादव निवासी ढाणी केरली घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

10. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
11. वन विभाग जरिये जिला वन अधिकारी जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री जे.एस. यादव, अधिवक्ता वादी
श्री मंगल चन्द यादव, अधिवक्ता प्रतिवादी

दावा सीमा निश्चयकरण व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 12.03.2022

अतः दावा इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 129/1161/0.07, 129/1162/0.84, 129/1045/2.52, 129/1202/0.64, 129/1158/1.54, 129/1159/0.55, 129/1160/2.39 है0 भूमि व प्रतिवादीगण के आराजी खसरा नम्बर 129/1245, 135/1066, 129/1247, 135/1249 वाके ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाकर सीमाचिन्ह अंकित करावे ।

आज तारीख 12.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	